सेल

जनपद

आजमगढ़

दिनांक:- 20 सितम्बर 2020

प्रेस विज्ञप्ति थाना रानी की सराय

एक अदद अवैध देशी रिवाल्वर व कारतूस 32 बोर तथा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित/ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में दिनांक 19.09.2020 प्रभारी निरीक्षक रानी की सराय श्री रामायण सिंह के सतत पर्यवेक्षण में उ0नि0 श्री सुल्तान सिंह मय हमराही द्वारा चेक पोस्ट तिराहा पर चेकिंग के दौरान मुखबिर ने सूचना दी कि चोरी की मोटर साइकिल सूपर स्पलैण्ड (ब्लैक रंग बिना न 0) पर दो व्यक्ति रानी की सराय की तरफ से आ रहे है । जिनमें पीछे बैठे व्यक्ति के पास नाजायज असलाह भी है । इस सुचना पर पुलिस बल द्वारा बेरियर लगाकर सघन वाहन चेकिंग शुरू किया गया कि कुछ ही समय में एक मोटरसाईकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखाई दिये। जिनको रूकने का ईशारा किया गया तो पुलिस बल देखकर गाड़ी मुडाकर भागने का प्रयास किये कि पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेर कर आवश्यक बल प्रयोग कर दोनो व्यक्तियो को मय मोटरसाइकिल समय 18.33 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया है। नाम पता पुछने पर उन्होने अपना नाम क्रमशः अरूण निवासी ग्राम उपेन्दा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ 2. रविकान्त पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम कुरंसू थाना देवगांव जनपद आजमगढ़ बताया। बरामद मोटरसाईकिल के सम्बन्ध में जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया कि उक्त मोटरसाईकिल थाना क्षेत्र मेहनगर से चोरी हुई थी जिसके सम्बन्ध में थाना मेहनगर पर मु0अ0सं0- 95/18 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया है। मौके पर तलाशी से अभियुक्त रविकान्त के पास से एक अदद देशी रिवाल्वर 32 बोर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर 1. मु0अ0स0 137/20 धारा 41/411/419/420 भादिव 2. मु0अ0स0 138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम रविकान्त पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्तगण मोटरसाईकिल के सम्बन्ध पुछताछ में बताये कि हम दोनो ने आज से करीब 2 बर्ष पहले ग्राम लौदह इमादपुर थाना मेहनगर से उक्त मोटरसाईकिल किसी के घर के दरवाजे के सामने से रात्रि में चोरी की थी और इसका रिज0न0 UP-50AD-3385 था। जिसको हमने धोखा देने की नीयत से हटाकर बिना न 0 चला रहे थे कि आज आपने पकड लिया। अवैध असलहा के बारे में पुछा गया तो कुछ बताने से कासिर रहा और चुप हो गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

- 1. सोनू कुमार पुत्र अरूण निवासी ग्राम उपेन्दा थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।
- 2. रविकान्त पुत्र मुन्ना लाल निवासी ग्राम कुरंसू थाना देवगांव जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

- 1. मु0अ0स0 137/20 धारा 41/411/419/420 भादवि थाना रानी की सराय आजमगढ।
- 2. मु0अ0स0 138/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय आजमगढ बनाम रविकान्त ।

बरामदगी

- 1. एक अदद अवैध देशी रिवाल्वर ,एक अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर
- 2. एक अदद मोटरसाइकिल सुपर स्पलेण्डर बिना नं0

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

उ०नि० श्री सुल्तान सिंह, उ०नि० श्री अनुपम जायसवाल, का० अजीत यादव, का० जितेन्द्र यादव थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ।

थाना सरायमीर

गैगेस्टर एक्ट के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

विषयक चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री सिद्धार्थ एव क्षेत्राधिकारी फूलपुर के निर्देशन में आज दिनांक 20.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक सरायमीर श्री अनिल सिंह मय हमराहियान द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0- 178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़ से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1.नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरेहुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ 2. जुगनू उर्फ सऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ को दिबश देकर उनके घर से समय 6.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0-178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण

- 1. नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरेहुदा निवासी मो० पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।
- 2.जुगनू उर्फ संऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण

1.नदीम पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर , आजमगढ

- 1..मु0 अ0 सं0 178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 91/20 धारा 3/5ए/8 गोवध एवं 11 पशु क्रूरता अधि0 थाना सरायमीर आजमगढ़
- 3.मु0अ0सं0 219/18 धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम थाना सरायमीर आजमगढ़

2.जुगनू उर्फ सऊद पुत्र पुत्र नूरूल हुदा उर्फ नूरे हुदा निवासी मो0 पठानटोला थाना सरायमीर जनपद आजमगढ।

- 1.मु0अ0सं0 178/20 धारा 3(1) यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना सरायमीर आजमगढ़
- 2.मु0अ0सं0 91/20 धारा 3/5ए/8 गोवध एवं 11 पशु क्रूरता अधि0थाना सरायमीर आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1.प्र0 नि0 अनिल कुमार सिंह थाना सरायमीर मय हमराह जनपद आजमगढ।

थाना सरायमीर

24 शीशी अवैध शराब के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार

विरष्ट पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण ,वांछित/इनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थ के निष्कर्षण,परिवहन एव विक्री पर प्रभावी रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत दिनांक 19.09.2020 को 30नि0 श्री रामकृष्ण सिंह मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर रेलवे क्रासिंग पुना पोखरा से एक अभियुक्त संतोष पुत्र नेबूलाल निवासी पूनापोखर थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को 24 शीशी अवैध शराब के साथ समय 20.10 बजे गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-179/2020 धारा 60आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।